

बिहार सरकार 1408 (2)
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 26 / 7 / 2019

संख्या-2/आर०-05/2018- /स्वा०, डा० पुनीता कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के द्वारा उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक-22.09.2018 से 19.03.2019 तक कुल 179 (एक सौ उन्नासी) दिन को अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के पत्रांक-5129 दिनांक-16.04.2019 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. यह अवकाश वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-640 दिनांक-19.1.2015 के आलोक में स्वीकृत किया गया है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—

(अनिल कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-2/आर०-05/2018- 1408 (2)

पटना, दिनांक 26 / 7 / 2019

प्रतिलिपि: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (बैंकदा०नि०को०) बिहार, पटना/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02
24.7.2019

सरकार के संयुक्त सचिव।

॥